



उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज-211 001

पत्रांक : उ0शि0आयोग/सी-885/1247(1)/2022-2023

दिनांक : 02 नवम्बर, 2022

प्रेस-विज्ञप्ति (08)

शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा अपने पत्रांक-डिग्री अर्थ-1(आयोग)/128/2022-23 दिनांक 13.05.2022 द्वारा अर्तरा पी.जी. कालेज, अर्तरा, बॉदा में निम्नवत आरक्षण लगाते हुए अध्याचन आयोग को प्रेषित किया गया था।

क्र. सं.	महाविद्यालयों का नाम	विषय	अध्याचित पदों की संख्या	UR	EWS	OBC	SC	ST
01	अर्तरा पी.जी. कालेज, अर्तरा, बॉदा	अर्थशास्त्र	03	01	—	01	01	—
		गणित	01	01	—	—	—	—
		प्राणि विज्ञान	01	—	01	—	—	—
		सैन्य विज्ञान	02	—	—	01	01	—
		भौतिक विज्ञान	01	01	—	—	—	—
		राजनीति विज्ञान	01	—	—	—	01	—
		रसायन विज्ञान	02	01	—	01	—	—
		समाजशास्त्र	01	—	—	—	01	—
		बी.एड.	05	02	—	02	01	—
		हिन्दी	02	01	—	01	—	—
			19	07	01	06	05	—

याचिका संख्या-13790/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 के अनुक्रम में अर्तरा पी.जी. कालेज, अर्तरा बॉदा के 100 प्वाइंट रोस्टर को निम्नवत संशोधित करते हुए शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा के पत्रांक-डिग्री अर्थ-1(आयोग)/528/2022-23 दिनांक 12.10.2022 द्वारा संशोधित रोस्टर आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है-

क्र. सं.	महाविद्यालयों का नाम	विषय	अध्याचित पदों की संख्या	UR	EWS	OBC	SC	ST
01	अर्तरा पी.जी. कालेज, अर्तरा, बॉदा	अर्थशास्त्र	03	01	—	01	01	—
		गणित	01	—	—	01	—	—
		प्राणि विज्ञान	01	—	—	—	01	—
		सैन्य विज्ञान	02	02	—	—	—	—
		भौतिक विज्ञान	01	—	—	—	01	—
		राजनीति विज्ञान	01	—	01	—	—	—
		रसायन विज्ञान	02	—	01	01	—	—
		समाजशास्त्र	01	—	01	—	—	—
		बी.एड.	05	03	—	01	01	—
		हिन्दी	02	01	—	01	—	—
			19	07	03	05	04	—

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज ने अपने पत्र दिनांक 12.10.2022 द्वारा अर्तरा पी.जी. कालेज, अर्तरा बॉदा में अध्याचित पदों के संशोधित रोस्टर को आयोग की बैठक संख्या-1186 दिनांक 02.11.2022 में लिये गये निर्णयानुसार आयोग के पोर्टल व वेबसाइट पर उपलब्ध है तदनुसार पूर्व अध्याचित रोस्टर में उक्तानुसार संशोधित समझा जाये।

सचिव
उ0शि0 आयोग

(दयानन्द प्रसाद)
सचिव